दूरभाष / Telephone: 011-26185097
फैक्स / Fax: 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या : हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-13/संगठन/2011/ 2523-2723 दिनांक 26 मई MAY 2011

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जोन) / निदेशक, नाटरस

विषय : राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना ।

महोदय,

यह तथ्य जानकारी में आया है कि राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों को विभिन्न कार्यालयों में, उनके कार्य के अतिरिक्त, अन्य कार्य सौपे जा रहे है । इसका परिणाम यह होता है कि राजभाषा संबंधी कार्य सही तरीके से समय पर नहीं हो पा रहे हैं । इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण तथा उससे जुड़ी निरीक्षण प्रश्नावली से संबंधित है ।

परन्तु कुछ कार्यालयों में कार्यरत सहायक निदेशक/ उप निदेशक (राजभाषा) अथवा हिन्दी अनुवादक किसी न किसी रूप में संगठन के अन्य कार्य सम्पन्न कर रहे हैं । जैसे मुख्यतया रोकड़ अनुभाग का प्रभारी बनाया जाना, चैक हस्ताक्षर करना, जन सम्पर्क अधिकारी बनाया जाना, समन्वय कार्य आदि । इससे राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों की सही प्रतिभा / क्षमता सामने नहीं आ पा रही है ।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में पुन: यह स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों को उनके मूल कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं सौंपे जाएं । यह भी ज्ञातव्य है कि अगला राजभाषा सम्मेलन 13-14 जून, 2011 को पुणे में आयोजित किया जा रहा है जिसमें उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा की जायेगी ।

....2/-

अतः आपसे अनुरोध है कि इस निमित्त आप अपने जोन में कार्यरत क्षेत्रीय आयुक्त-। को निदेश दें एवं क्षेत्रीय आयुक्त-। यह प्रमाणित करें कि उनके कार्यालय में उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा) अथवा हिन्दी अनुवादकों को कोई अतिरिक्त कार्य नहीं सौंपे गए हैं । इस बारे में तुरन्त कार्रवाई करके मुख्यालय को अविलम्ब सूचित करें ।

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

(ए. कुलश्रेष्ठ)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)
एवं प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि :-

(1) सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय सहित)।
(2) सभी प्रभारी अधिकारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय ।
(3) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
(4) संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
(5) सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
(6) सभी उपनिदेशक (सतर्कता), सभी अंचल ।
(7) सभी उपनिदेशक (राजभाषा) / सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा संबधित कार्यालय ।
(8) सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल ।
(9) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को वैब-साइट पर अपलोड करने के लिए ।

(राजवीर सिंह)
कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)
25/05/11